



न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी *PBR/अगरासी/शुजालपुर/शुक्र/२०१७/३०५२*

1. बद्रीप्रसाद पुत्र गलजीराम
 2. रेशमबाई पुत्र गलजीराम
 3. नारायण सिंह पुत्र गलजीराम
- निवासीगण ग्राम पत्थर की अमलाय
तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर म0प्र0
— आवेदकगण

बनाम

1. हरीसिंह पुत्र विजयसिंह
 2. दिनेश पुत्र हरीसिंह
 3. महेश पुत्र हरीसिंह
 4. वंशीलाल पुत्र रामचरण
- निवासी ग्राम पत्थर की अमलाय तहसील
शुजालपुर जिला शाजापुर म0प्र0
— अनावेदकगण

श्री. म.प्र. पी. चान्द
द्वारा आज दि 31/08/2017 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

31-8-17

31/8/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959
न्यायालय तहसीलदार शुजालपुर जिला शाजापुर के प्र.क.
01/अ-13/2016-17/अपील में पारित आदेश दिनांक
25.08.2017 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

माननीय महोदय,
आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है -

निगरानी के संक्षेप में तथ्य :-


1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि,
अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय शुजालपुर जिला शाजापुर के समक्ष संहिता

म
म
/2
लोग
२५/०८/१७
३५
ग
चौल
५०
५

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2017/3052

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सतेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20-12-18 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	